नारी शक्ति संकल्प पत्र

सशक्त नारी, समृद्ध प्रदेश

राजमाता विजयाराजे सिंधिया
जन्म शताब्दी वर्ष

भाजपा
मध्यप्रदेश

सुशासन अटल
भारत रत्न
श्री अटल बिहारी वाजपेयी
1924–2018

भूमिका

प्रदेश की मेरी माताओं, बहनों और बेटियों,

पिछले 13 वर्षों से आपके मुख्यमंत्री के रूप में मुझे मध्यप्रदेश की सभी माताओं-बहनों और मेरी प्यारी भांजियों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। आपने मुझे अपना बेटा, भाई और मामा मानकर जो स्नेह और सम्मान दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का जीवन भर आभारी रहूँगा। आपका यही प्यार और अपनापन का भाव है जो मुझे हर समय आपके जीवन को सरल, सुलभ और सक्षम बनाने के लिए प्रयास करने की निरंतर प्रेरणा देता है।

भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थापना से ही महिलाओं के प्रति सम्मान के साथ ही राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका को अधिक से अधिक बढ़ाने की पक्षधर रही है। भाजपा ने ही सबसे पहले अपने संगठन में महिला आरक्षण को सुनिश्चित किया था। पार्टी की इस पहल से महिलाओं की भूमिका सशक्त होती गई है, और उनकी भागीदारी बढ़ती ही गई है। आज देश के इतिहास में पहली बार 6 राज्यों में महिला राज्यपाल हैं, और विदेश और रक्षा मंत्री जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का भी महिला नेताओं द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। पिछले पंद्रह वर्षों में प्रदेश को विकास के एक नए मार्ग पर ले जाते हुए हमने महिलाओं को इस यात्रा में सम्मिलित करने का सार्थक प्रयास किया है। हमारी सरकार ने महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के नए अवसर निर्माण करने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत की है। विशेष महिला बजट प्रस्तुत करने वाला हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश था। लाड़ली लक्ष्मी जैसी अभिनव योजना से प्रदेश की 27 लाख बेटियों को लाभ मिला है और इस योजना की सफलता को देखते हुए कई और राज्यों ने इसका अनुकरण किया है। हमारी बेटियों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने हेतु हमने उन्हें नि:शुल्क साइकिल प्रदान की है और प्रतिभा किरण एवं गाँव की बेटी योजनाओं के तहत उनकी उच्च शिक्षा को सुनिश्चित किया है। महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमने जननी सुरक्षा योजना, जननी एक्सप्रेस जैसी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वियन किया है। हमारी माताओं-बहनों को चूल्हे के धुएँ से होनेवाले नुकसान से बचाने हेतु लगभग 51 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं।

हमारी सरकार ने महिलाओं को राजनैतिक एवं सामाजिक नेतृत्व में भी पूरा अवसर देने का प्रयास किया है और पंचायत एवं नगरीय स्वायत्त शासन संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है। महिलाओं के कौशल विकास और रोज़गार के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल्या योजना जैसी लक्षित योजना की शुरूआत की है और लगभग 23 लाख महिलाओं को 2 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है। इन कदमों से प्रदेश की महिलाओं की आजीविका में वृद्धि हुई है और वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं।

हमारे लिए हमारी बेटियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा है और इसलिए देश में पहली बार हमारी सरकार ने बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है।

हमारी सरकार की महिलाओं के प्रति प्राथमिकता हमारे कार्य और योजनाओं में प्रतिबिंबित होती है। इन योजनाओं के परिणामस्वरूप हमारी प्रदेश की महिलाओं के जीवन में जो परिवर्तन आया है, यह हमारे लिए प्रसन्नता और गर्व का विषय है। और यह परिवर्तन मैं जहाँ जाता हूँ, वहां देख सकता हूँ।

मैंने आने वाले पांच वर्षों में मध्य प्रदेश को समृद्धि की एक नई दिशा में ले जाने का सपना देखा है, और यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी बहने और बेटियाँ इस समृद्धि में बराबर की हिस्सेदार बनें। इसीलिए हमने यह संकल्प लिया है कि अगले पांच वर्षों में भी महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु हम नवनवीन कदम उठाएंगे। समृद्ध मध्य प्रदेश में महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान करने हेतु रचनात्मक एवं समयबद्ध निर्णयों को प्राथमिकता देने के लिए हम कटिबद्ध हैं।

हमारी महिलाओं के प्रति प्राथमिकता को आगे बढ़ाते हुए यह संकल्प पत्र मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यह वर्ष राजमाता विजयाराजे सिंधिया का जन्म शताब्दी वर्ष है, और इसीलिए हम इस नारी शक्ति संकल्प पत्र को पूजनीय राजमाता को समर्पित कर रहे हैं। इस देश में शायद पहली बार महिलाओं के लिए अलग संकल्प पत्र बना है। और यह आपके विकास, सशक्तिकरण और सम्मान के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है। मुझे आपने जो प्रेम और सम्मान दिया है उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, हमारे प्रदेश के समृद्धि के सफ़र में आप हमारे साथ चलें, यह आपसे निवेदन करता हूँ और फिर एक बार आपके हितों की रक्षा और आपकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का संकल्प करता हूँ। यह आपके बेटे, भाई और मामा शिवराज का वचन है।

शिवराज सिंह चौहान

अनुक्रमणिका

महिलाओं के लिए शिक्षा के सुलभ अवसर 4

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) में महिलाएं 4

महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर 5

कौशल विकास से स्वावलंबन 6

महिला सुरक्षा 6

महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन 7

अन्य पहलें 8

महिलाओं के लिए शिक्षा के सुलभ अवसर

1. बालिकाओं के प्रति समग्र और बहु-आयामी प्राथमिकता को सुनिश्चित करने हेतु हमारी अग्रणी 'स्वागतम लक्ष्मी' योजना को और मजबूत किया जाएगा और उसे अन्य शिक्षा और स्वास्थ्य पहलों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
2. बारहवीं कक्षा में 75 प्रतिशत से ज्यादा अंक लाने पर कॉलेज जाने वाली छात्राओं को दो-पहिया वाहन (स्कूटी) प्रदान किया जाएगा और इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन के शुल्क की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
3. हम प्रदेश में लड़कियों के आवासीय विद्यालयों और महाविद्यालयीन छात्रावासों की क्षमता को अगले पांच वर्षों में दोगुना कर देंगे।
4. हम इंटरनेट कनेक्शन, सुसज्जित पुस्तकालय और अत्याधुनिक रीडिंग रूम से लैस 'विजया लर्निंग सेंटर' की स्थापना लड़कियों के सभी महाविद्यालयीन छात्रावासों से जोड़कर करेंगे।
5. उच्च शिक्षा के अवसरों का पूर्ण लाभ प्रदेश की ग्रामीण लड़कियों को देने हेतु सरकारी कॉलेजों में पढ़ रही ग्रामीण छात्राओं को महाविद्यालयों तक लाने-ले जाने हेतु निशुल्क महिला कम्यूटर बसों की व्यवस्था पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी।
6. लड़कियों की सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु एक नई 'मुक्ता' योजना के अंतर्गत सभी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के छात्रा शौचालयों में स्वचालित सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाए जाएंगे और शौचालयों का उन्नयन किया जाएगा।
7. जिन महिलाओं को किसी कारणवश पढ़ाई छोड़नी पड़ी हो और उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने की इच्छा है, उनके लिए एक विशेष 'झलकारी बाई निरंतर शिक्षा परियोजना' की शुरूआत की जाएगी जिसके तहत कम्युनिटी कॉलेजों की स्थापना और ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) का गहन उपयोग किया जाएगा।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी और गणित (STEM) में महिलाएं

1. हम STEM शाखाओं में व्यक्तिगत सशक्तिकरण और उच्च वेतन वाले रोज़गार की बढ़ती संभावनाओं का अधिकतम लाभ महिलाओं तक पहुँचाने हेतु STEM पाठ्यक्रमों में शिक्षा लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
2. हम महिलाओं के लिए कंप्यूटर-आधारित STEM शिक्षा को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई परियोजना शुरू करेंगे।
3. हम विद्यालय स्तर पर विज्ञान और गणित में लड़कियों की रूचि बढ़ाने हेतु एक विशेष 'STEM शिक्षा आउटरीच' कार्यक्रम का सृजन करेंगे।
4. STEM क्षेत्रों में रूचि निर्माण करने हेतु स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों को प्रेरणादायी व्यतिक्त्वों से भेंट और बातचीत को सुलभ बनाने के लिए 'यशस्विनी' कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

1. हम कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि करने और महिलाओं के लिए उच्च वेतन वाले स्थानीय गैर-कृषि रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करने हेतु एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेंगे।
2. कृषि संबद्ध गतिविधियों में, विशेषतः डेयरी उद्योग में, महिलाओं को प्रोत्साहन और सुविधाएं प्रदान करने के लिए, हम 'शक्तिस्वरूपा कार्यबल योजना' की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत:
   - दुधारू पशुओं की ख़रीद के लिए अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी
   - कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन गतिविधियों की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी
   - गुणवत्तापूर्ण उत्पादक सामग्री की ख़रीद के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
   - कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को 20 लाख तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
   - ग्राम पंचायत स्तर पर शिविरों के माध्यम से कृषि संबद्ध गतिविधियों में कौशल विकास प्रशिक्षण और लाभार्थियों का पंजीकरण किया जाएगा
   - 1,500 नई महिला दुग्ध सहकारी समितियों के साथ-साथ 2,000 नई दुग्ध सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी
   - उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को छोटे घरेलु व्यवसाय शुरू करने के लिए ज़रूरी उपकरण (जैसे सिलाई मशीन) हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी
3. बड़ी संख्या में महिलाओं को कार्यबल में सम्मिलित होने में सक्षम बनाने हेतु उद्योगों के साथ समन्वय बनाकर महिलाओं के लिए सुलभ और लचीले रोजगार मॉडलों का सृजन किया जाएगा और उद्योगों को इन मॉडलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
4. हम कोर औद्योगिक नौकरियों (Core Industrial Job Roles) में 50% या अधिक पदों में कौशल प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता जताने वाले उद्योगों को अतिरिक्त कर-संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करेंगे।
5. हम व्यवसायों में महिलाओं के लिए और अधिक रोज़गार निर्माण करने और उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित मॉडल दुकान एवं स्थापना अधिनियम को उचित संशोधनों के साथ लागू करेंगे।
6. महिला उद्यमियों के लिए पूंजी और मेंटरशिप को सुलभ बनाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और उसके तहत महिला-संचालित स्टार्टअप्स के लिए चार इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।
7. आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का लाभ महिलाओं तक पहुँचाने हेतु प्रदेश में 10 नए महिला ग्रामीण बीपीओ की स्थापना की जाएगी।

8. हम महिलाओं को कौशल-संगत रोजगार अवसरों से जोड़ने और पारिश्रमिक में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु रोजगार एक्सचेंज में विशेष महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी। यह प्रकोष्ठ महिला श्रमिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और वैधानिक सुविधाओं संबंधी जागरूकता केंद्र के रूप में भी कार्य करेंगे।
9. शहरी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश में कामकाजी महिला छात्रावासों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा।

कौशल विकास से स्वावलंबन

1. हमारी सफल मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का विस्तार कर प्रतिवर्ष 3 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।
2. मुख्यमंत्री कौशल्या योजना के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रमों में विविधता लाने हेतु योजना में अकाउंटेंसी, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसे उच्च कौशल पाठ्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे।
3. हम अर्ध-ग्रामीण और नगर-परिधीय क्षेत्रों में 10 नए महिला कौशल परामर्श केंद्र स्थापित करेंगे जिसके माध्यम से महिलाऐं सभी उपलब्ध कौशल विकास अवसरों और रोज़गार संभावनाओं का मूल्यांकन कर परामर्श के आधार पर उचित अवसरों का चयन कर सकें।
4. उच्च माध्यमिक शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण पूरा करने वाली महिलाओं को रोज़गार के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन जैसे जीवन कौशल विषयों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।
5. लंबे समय तक कार्यबल से बाहर रही महिलाओं को फिर से कार्यबल में सम्मिलित होने में मदद करने हेतु रोजगार एक्सचेंज और कौशल परामर्श केंद्रों के माध्यम से विशेष कौशल विकास और रोजगार मॉड्यूल शुरू किए जाएंगे।
6. महिलाओं में कंप्यूटर और आईटी कौशल का लक्षित विकास करने हेतु हम 'सूचना प्रौद्योगिकी से महिला सशक्तिकरण मिशन' का सृजन करेंगे और इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 20 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

महिला सुरक्षा

1. महिलाओं की सुरक्षा हेतु लक्षित प्रयास, प्रक्रियाओं की सुगमता और पुलिस और न्यायपालिका की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए एक राज्यव्यापी 'फीमेल एक्सेस टू जस्टिस' योजना तैयार की जाएगी।
2. हम महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में शिकायत, जांच और अभियोजन की मजबूत निगरानी के लिए एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली शुरू करेंगे।

3. महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए महिला अपराध शाखा को और मजबूत किया जाएगा और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों का प्रबंध किया जाएगा।
4. पुलिस महकमे में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला पुलिस अधीक्षकों द्वारा महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के हॉटस्पॉट्स की पहचान और ऐसे अपराधों में कमी सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए गए निवारक कदमों पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
5. पुलिस बल में संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट या कठिनाइयों के पुलिस से संपर्क कर सकें।
6. महिला उप-निरीक्षकों को महिलाओं से संबंधित मामलों को संवेदनशीलता से संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें पुलिस थानों में महिलाओं के लिए प्रथम संपर्क बिंदु के तौर पर 'महिला सुविधा अधिकारी' के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
7. हम पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के लिए प्राथमिकता से भर्ती प्रक्रिया करेंगे।
8. यौन अत्याचार के मामलों में प्रमाणों के संग्रहण और अभियोजन पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश के सभी पुलिस थानों में यौन अत्याचार फोरेंसिक परिक्षण किट (रेप किट) उपलब्ध कराए जाएंगे।
9. महिलाओं के प्रति पुरुषों की मानसिकता बदलकर महिलाओं के लिए एक गरिमामय और सुरक्षित माहौल निर्माण करने हेतु पुरुषों के लिए विशेष संवेदनशीलता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।

महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन

1. माता और बाल ट्रैकिंग प्रणाली को सुदृढ़ और विस्तारित कर हम यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती चरण में ही पंजीकृत किया जाए और 100% माँ और बच्चों तक सभी आवश्यक परीक्षाएं, सेवाएं और प्रसवपूर्व देखभाल की सुविधाएं पहुंचे।
2. गर्भवती महिलाओं के व्यापक पंजीकरण के लिए सभी आशा कर्मचारियों को ट्रैकिंग सिस्टम एप से लैस स्मार्ट फोन दिया जाएगा।
3. गावों में स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को एक स्वयंसेवक कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण, बच्चों के टीकाकरण और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रोत्साहन के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा।
4. सभी महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में मिशन इंद्रधनुष को गहन रूप से कार्यान्वित किया जाएगा।
5. मां और बच्चे के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों तक पर्याप्त परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए हम जननी एक्सप्रेस-108 एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे।

6. हम महिलाओं के बीच आयरन डेफिशियेंसी एनीमिया की समस्या को कम करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करेंगे और आयरन की खुराक और रक्त संचरण सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।
7. ग्रामीण महिलाओं में श्वसन रोगों के निवारण को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे।

अन्य पहलें

1. महिला भूमिधारकों को एक तय राशि आर्थिक सहायता के रूप में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी और भूमि अधिकारों में महिलाओं का नाम जोड़ने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
2. जरूरतमंद अकेली माताओं के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने हेतु एक विशेष सहायता निधि की शुरुआत की जाएगी।
3. मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना के लाभार्थी नवविवाहित दंपतियों, जिनके पास पक्का मकान नहीं है, उन्हें रियायती दरों पर पक्का मकान दिया जाएगा।
4. नि:संतान गरीब महिलाओं को मातृत्व के अनुभव से वंचित न रहना पड़े इसलिए आईवीएफ द्वारा गर्भधारण के खर्च में 100% सहायता दी जाएगी।
5. राशन दुकानों में महिलाओं के लिए अलग काउंटर और लाइन की व्यवस्था की जाएगी।
6. यात्री और शहरी बसों में महिलाओं को छूट दी जाएगी और 60 वर्ष से अधिक की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सेवा प्रदान की जाएगी।
7. पंचायत और नगर निकाय स्तर पर महिलाओं के विषयों में पुरुष प्रतिनिधियों की सहभागिता और संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु महिला और बाल विकास समितियों में पुरुषों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित किया जाएगा।

भाजपा
मध्यप्रदेश

प्रकाशक - संख्या - मुद्रक - दिनांक -